जारी प्रतीक्षा
11.9.08

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–179/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादून::दिनांक,11 सितम्बर 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण विभाग (जिला अधिष्ठान) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1978 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड रजिस्ट्रीकरण विभाग (जिला अधिष्ठान) लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रजिस्ट्रीकरण विभाग (जिला अधिष्ठान) लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

2. उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण विभाग (जिला अधिष्ठान) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1978 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15. रजिस्ट्रीकरण लिपिक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया– (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे, (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा, जब तक उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो, (3) लिखित परीक्षा में अंक	15. (1) सीधी भर्ती के लिये प्रकिया– सीधे भर्ती के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिये आवेदन–पत्र उपनियम(1) में प्रकाशित प्ररूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:– (एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। (3) उपनियम(2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा। (4)(एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग

c/c

प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हो, और उतने अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझे, नियुक्ति के लिये संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयोग उनके नामों को योग्यता क्रम में उनकी उपयुक्तता के आधार पर चयनित करेगा, आयोग सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगा, सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक होगी।	के आधार पर तैयार की जायेगी। (दो) (क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। (ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (ग) लिखित परीक्षा की उत्तर–शीट (Answar Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (घ) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाइट WWW.ua.nic.in पर प्रदर्शित या दैनिक सामाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा; परन्तु, ऐसे पद के सम्बन्ध में, जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व, अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। (ङ) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथा स्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिये 4000 KDPH (की डिप्रेशन पर आवर) व आशुलिपि परीक्षा के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के चार गुना होगी। (5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, यथा स्थिति, टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक होगी। (6) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें

	निम्नलिखित होंगेः– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी– **अध्यक्ष** (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य** (तीन) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचति जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य** (चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य**

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–179 (1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/विधायी/कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड।
5– महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए हिन्दी/अंग्रेजी की मुद्रित 100–100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।